30.04.2025

1. दिनेश कुमार लड्डा आत्मज श्री सत्यनारायण लड्डा जाति महाजन निवासी ए–35–36 रिद्धी सिद्धी नगर कुन्हाडी कोटा जिला कोटा राजस्थान।

–प्रार्थी

बनाम

1. सुशील कुमार आत्मज श्री चतरभुज जाति महाजन निवासी कोटा राजस्थान ।
2. राजन लड्डा आत्मज श्री मिथलेश लड्डा जाति महाजन निवासी ए–39 रिद्धि सिद्धि नगर कुन्हाडी जिला कोटा राज०
3. राजस्थान राज्य जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब तालेडा तह० तालेडा जिला बून्दी।

–प्रतिवादी

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्ता प्रार्थी :– श्री हिम्मत सिंह
अधिवक्ता अप्रार्थी :– श्री हर्षद दुबे व पेरोकार सरकार

– : : निर्णय : : –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–131 एल आर एक्ट

प्रार्थना पत्र वास्ते राजस्व नक्शे में इन्द्राज दुरस्त करने बाबत्

प्रार्थना पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की कृषि भूमि खतोनी संख्या पुरानी 304 नया 367 की खसरा सं. 1112/554 रकबा 0.3238 हैक्टेयर वाके ग्राम बल्लोप पटवार हल्का बल्लोप तह0 तालेडा जिला बून्दी में विस्थित है एवं वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2076–2076 प्रस्तुत है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि भूमि पर निर्बाध रूप से काबिज काश्त है। एवं प्रार्थी ने उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 1 से क्रय की है जब से कृषि कार्य करता चला आ रहा है। एवं भूमि ग्राम बल्लोप तहसील तालेडा जिला बूंदी में विस्थित है। जिस पर पूर्व में काबिज काश्त के आधार पर भूमि की तरमीम की गई थी एवं नक्शा बनाया गया था। प्रार्थी की वाद वर्णित भूमि का तहसील तालेडा में कब्जा काश्त के आधार पर तरमीम नही हुई। जबकि प्रार्थी तथा अप्रार्थी सं.1 एवं बाद में अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा अप्रार्थी सं. 2 को अपनी मुल खसरा सं. 1113/554 में से बेची गई भूमि 0.1619 हैक्टेयर में प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 व 2 कब्जा काश्त के आधार पर वर्तमान में काबिज है एवं ऑनलाईन हुई तो उक्त भूमि की तरमीम कब्जा काश्त के आधार पर नहीं कर गलत नक्शा बना दिया गया जो कि राजस्थान राज्य की गलती से हुआ। आनन फानन मे प्रार्थी जहाँ काबिज है वहाँ का नक्शा को प्रार्थी की कृषि भूमि खतोनी संख्या पुरानी 304 नया 367 की खसरा सं. 1112/554 रकबा 0.3238 हैक्टेयर वाके ग्राम बल्लोप पटवार हल्का बल्लोप तहसील तालेडा जिला बूंदी पर अंकित नहीं किया एवं दुसरी जगह का नक्शा प्रार्थीगण के खाते की भूमि कृषि भूमि खतोनी संख्या पुरानी 304 नया 367 की खसरा स. 1112/554 रकबा 0.3238 हैक्टेयर वाके ग्राम बल्लोप पटवार हल्का बल्लोप तह० तालेडा जिला बून्दी पर कर अकिंत कर दिया, जो कि गलत इन्द्राज हुआ । एल आर एक्ट की धारा 136 की धारा में यह प्रावधान किया गया है कि नक्शे एवं तरमीम में गलती हुई तो प्रार्थीगण के काबिज काश्त के आधार पर ही पुनः मौके पर जाकर रिपोर्ट मंगवा कर नक्शे एवं तरमीम की शुद्धी करवाई जा सकती है। गलत नक्शे एवं तरमीम के चलते प्रार्थी को भारी समस्या का सामना करना पड रहा है एवं मौके पर अन्य खातेदार प्रार्थी को नाजायज परेशान करते है। तथा प्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास

करते है। एवं इस बाबत् जब प्रार्थी के द्वारा हल्का पटवारी रघुनाथपुरा से दिनांक 16.06.2024 को निवेदन किया [redacted] की भूमि का नक्शा एवं तरमीम शुद्ध किया जावे तो पटवारी हल्का रघुनाथपुरा के द्वारा प्रार्थीगण के साथ टालमटोल की गई प्रार्थी की समस्या का कोई समाधान नही किया गया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 16.06.2024 को तहसीलदार तालेड़ा से नक्शा एवं तरमीम शुद्री के लिये निवेदन किया परन्तु तहसीलदार तालेडा के द्वारा प्रार्थी की बात नही सुनी एवं प्रार्थी की भूमि के नक्शा एवं तरमीम शुद्ध के संबंध में कोई कार्यवाही नही की गई जो वाद कारण बना एवं वर्तमान में भी लगातार बना हुआ है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण के खातेदार अधिकार की कृषि भूमि खतोनी संख्या पुरानी 304 नया 367 की खसरा स. 1112/554 रकबा 0. 3238 है0 वाके ग्राम बल्लोप पटवार हल्का बल्लोप तहसील तालेडा जिला बून्दी में विरस्थित है भूमि पर वर्तमान में प्रार्थीगण की काबिज स्थिति को देखते हुये वर्तमान कब्जा स्थिति के आधार पर पटवारी की रिपोर्ट तलब कर नक्शा एवं तरमीम शुद्धीकरण के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी सं0 1 व 2 द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थित होकर प्रार्थी के राजीनामा पेश कर प्रार्थना पत्र अनुसार तरमीम किये जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी तहसीलदार तालेडा द्वारा जर्ये पत्रांक 1232 दिनांक 22.04.2025 व 1375 दिनांक 25.4.2025 से रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि ग्राम बल्लोप के खसरा नम्बर 554/107 रकबा 1.1979 हैक्टे. मे से प्रार्थी द्वारा रकबा 0.3238 हैक्टे. भूमि दिंनाक 14.7.2021 को कय की गई थी। उक्त कय की गई भूमि की नामान्तकरण के समय ऑनलाईन नक्शे में रकबा 0.3238 हैक्टे. भूमि रजिस्टर्ड विकय पत्र में अंकित दिशानुसारा पूर्व दिशा की तरफ तरमीम की गई थी। जबकि वादी द्वारा कय की गई भूमि मूल ख0सं0 554/107 में से रकबा 0.3238 हैक्टै की उतरी सीमा की तरफ खरीदा गया था व कब्जा प्राप्त किया गया था। वर्तमान में भी वादी का ख0सं0 554/107 की उतर दिशा की तरफ कब्जा कास्त है।

पेरोकार सरकार ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुताबिक तहसीलदार तालेडा ग्राम बल्लोप के खसरा नम्बर 554/107 रकबा 1.1979 हैक्टे. मे से प्रार्थी द्वारा रकबा 0.3238 हैक्टे. भूमि दिंनाक 14.7.2021 को कय की गई, जो मुताबिक विकय पत्र पूर्व दिशा में ख0सं0 1112/554 रकबा 0.3238 हैक्टे0 वाके ग्राम बल्लोप की तरमीम सही की गई थी। तत्समय प्रार्थी दिनेश कुमार द्वारा कोई वाद प्रस्तुत नही किया गया। अतः प्रा0पत्र प्रार्थी खारिज योग्य है।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी खाता सं0 304 संवत 2076 वाके ग्राम बल्लोप , छायाप्रति विकय पत्र दिनेश कुमार दिनांक 14.07.2021, भू-नक्शा ख0सं0 1112/554 ग्राम बल्लोप, विकय पत्र सुशील कुमार दिनांक 21.12.2023 की छायाप्रति पेश की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थीगण के खातेदार अधिकार की कृषि भूमि खतोनी संख्या 367 नया की खसरा स. 1112/554 रकबा 0.3238 है0 वाके ग्राम बल्लोप पटवार हल्का बल्लोप तहसील तालेडा जिला बून्दी में विरस्थित है भूमि पर वर्तमान में प्रार्थीगण की काबिज स्थिति को देखते हुये वर्तमान कब्जा स्थिति के आधार पर एवं पक्षकारान् के मध्य राजीनामा होने से नक्शा एवं तरमीम शुद्धीकरण के आदेश करने का निवेदन किया गया।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान रिपोर्ट तहसीलदार तालेडा अनुसार प्रार्थी कयशुदा भूमि के स्थान पर जहाँ काबिज कास्त है वहाँ तरमीम करवाना चाहता है जबकि तहसीलदार तालेडा द्वारा विकय पत्र दिनांक 14.

07.2021 के आधार पर सही तरमीम की गई है जिसे कब्जे कास्त के आधार पर दुरुस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड नकल जमाबन्दी खाता सं0 367 नया की खसरा स. 1112/554 रकबा 0.3238 है0 याके ग्राम बल्लोप पटवार हल्का बल्लोप, छायाप्रति विक्रय पत्र दिनेश कुमार दिनांक 14.07.2021, भू–नक्शा ख0सं0 1112/554 ग्राम बल्लोप, विक्रय पत्र सुशील कुमार दिनांक 21.12.2023 का अवलोकन किया गया । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज विक्रय पत्र दिनांक 14.07.2021 के पृष्ट सं0 2 के पेरा 2 में स्पष्ट अंकन किया गया है कि प्रार्थी ने आराजी ख0सं0 554/107 रकबा 1.1979 हैक्टे0 में से 0.3238 हैक्टे0 पूरब दिशा की कय की है और उसी के आधार पर तहसीलदार तालेडा द्वारा नक्शा तरमीम किया जाना तहसीलदार तालेडा की रिपोर्ट से प्रमाणित होता है। प्रार्थी यदि कयशुदा भूमि स्थान पर अन्यत्र उत्तर दिशा में काबिज कास्त है तो वह अपनी कयशुदा भूमि पर काबिज कास्त होने हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही करे अन्यथा तत्समय ही विक्रय पत्र में संशोधन करवाता। अन्तर्गत धारा 131 एलआर एक्ट में इस प्रकार कब्जा कास्त के आधार पर तरमीम परिवर्तन का कोई प्रावधान निहित नहीं होने से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

आदेश

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को अन्तर्गत धारा 131 एलआरएक्ट में निहित प्रावधानो के आधार पर प्रमाणित करने एवं तहसीलदार तालेडा द्वारा विक्रय पत्र के आधार की गई तरमीम को त्रुटि पूर्ण साबित करने में असफल होने से खारिंज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा